(141)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/1649 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–5–17 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया प्रकरण कमांक 15/अपील/2016–17.

मोहनलाल विश्वकर्मा पुत्र स्व. कुन्दनलाल विश्वकर्मा
निवासी ग्राम बवचिया
तहसील बैरसिया जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती केदार बाई पत्नी करोडीलाल
निवासी ग्राम बवचिया
तहसील बैरसिया जिला भोपाल .....अनावेदिका

श्री अमित गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–5–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, बैरसिया जिला भोपाल द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 5 में पारित आदेश दिनांक 20–8–2010 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया जिला भोपाल के समक्ष दिनांक 5–12–2016 को लगभग 6 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 15/अपील/2016–17 दर्ज कर दिनांक 12–5–17 को अन्तरिम आदेश पारित कर विलम्ब माफ किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा विलम्ब क्षमा करने हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में आदेश की जानकारी का कोई स्रोत नहीं दर्शाया गया है और न ही प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाया गया है, जबकि जानकारी का स्रोत एवं प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाया जाना आवश्यक है, जिस पर बिना विचार किये विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका, आवेदक के मकान के आधे हिस्से पर निवास कर रही है और उसे नामान्तरण आदेश की सूचना दी गई थी । अतः अनावेदिका को नामान्तरण आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, किन्तु उसके द्वारा आवेदक को परेशान करने की नीयत से नामान्तरण आदेश को चुनौती दी गई है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 361 के न्याय दृष्टान्त का उल्लेख किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि द्वारा नामान्तरण आदेश उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया है, इसलिए उसे नामांतरण आदेश की कोई जानकारी नहीं थी और जानकारी के दिनांक से अपील समय–सीमा में प्रस्तुत की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्याय दृष्टान्त का उल्लेख करते हुए सकारण विलम्ब क्षमा किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी अन्तिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदिका, मूल भूमिस्वामी कुन्दनलाल के दूसरे पुत्र स्व. करोडी लाल की पत्नी होकर प्रश्नाधीन भूमि पर हितबद्ध पक्षकार है, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है, जो कि अधिकारिता रहित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा कर अपील ग्राह्य करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध

में 1994 आर.एन. 302 मुन्ना विरूद्ध तुलसी तथा अन्य में निम्नलिखित न्याय दृष्टान्त प्रतिपादित किया गया है:–

''धारा 5–परिसीमा का प्रश्न–आदेश अधिकारिता रहित–ऐसा आदेश किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है–परिसीमा का वर्जन नहीं है ।''

उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें हस्ततक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–5–17 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर